पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को पुनःदिनांक 31.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पर किसी भी प्रकार का आदेश पारित नही किया एवं लम्बी लम्बी पेशीया दे दी गई। अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके वर्षो पुराने कब्जा काश्त की आराजी से बेदखल करने लगे तब प्रार्थी ने कानूनी सलाह लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के आलावा कोई अन्य विकल्प नही था तब इसकी विधिक जानकारी लेकर अजमेर आकर वकील साहब से मिले और उन्होने बिना विलम्ब किय उक्त अपील तैयार करवाई एवं प्रार्थी आज न्यायालय के समक्ष अविलम्ब अपील तैयार करवा करके श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश की अनपढ काश्तकार है ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार पर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा करते हुए अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में जो आधार विलम्ब के प्रार्थी एवं कपोल कल्पित हैं। प्रार्थी/अपीलांट को उक्त वाद के विचाराधीन होने एवं वाद में चल रही तारीख पेशीयों की पूर्ण रूप से जानकारी थी। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा जानबूझ कर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई बाबत कोई प्रयास नही किया गया अपितु जानबूझकर प्रकरण में लम्बी तारीख पेशीयां लेकर अदृश्य रूप से न्यायालय पर देरी होने का आरोप लगाते हुए उक्त अपील प्रस्तुत की है जो प्रथम दृष्टया ही संधारण योग्य नही होकर काबिल निरस्त योग्य है। साथ ही प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस व उचित विलम्ब का कारण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जो विधिक हो, जिससे प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 में प्रार्थी/अपीलांट ने झूठे कथन अंकित किये है। प्रार्थी/अपीलांट जो की अजमेर शहर का निवासी है जो कि अजमेर शहर के मुख्य भाग धोलाभाटा में निवास करता है तथा साक्षर है परन्तु अपीलांट द्वारा जानबूझकर स्वयं को ग्रामीण परिवेश एवं अनपढ काश्तकार बताकर न्यायालय को गुमराह कर एक तरफा अनुचित लाभ प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में दर्शाये कथन विरोधाभासी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाकर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने आदेश में मात्र नोटिस जारी करने का कथन अंकित कर दिया जबकि अभिभाषक द्वारा पूर्ण से बहस भी की गयी थी तथा भूमि जो कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में यदि मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति नहीं रखी गयी तो वाद प्रस्तुत करने का सार ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी को अपूणीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तार्फैसला अपील अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजीयात पर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करे तथा बेदखल नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2014 लगातार..

8.2.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

शैतान बनाम किशनलाल (मृ) (1537/2023)

लगातार...

आर0आर0टी0 1 पेज संख्या 409, 2018 आर0आर0टी0 1 पेज संख्या 156 सुप्रीम कोर्ट, 2017 आर0आर0टी0 1 पेज संख्या 491 एवं 2055 आर0आर0डी0 पेज संख्या 49 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक रेसपोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में अपील संख्या 304/2019 एंव 263/2019 निर्णित कर प्रकरण में दिनांक 10.08.2023 की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष वास्ते साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया था। प्रकरण पुनः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज होने पर वादी अभिभाषक द्वारा कभी भी वाद पत्र में अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई ना ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 में बहस करने का प्रयास किया गया, केवल वादी/ प्रार्थी द्वारा प्रकरण में तारीख पेशी ली जाती रही तथा माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए बिना किसी आधार के झूठे कथनों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यहां यह अंकित करना उचित एवं पर्याप्त होगा कि वादी/अपीलांट का पूर्व में वाद अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत निरस्त फरमाया जाकर जा चुका है जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा पूर्व में अपील प्रस्तुत की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर को प्रति प्रेषित किया गया। बाद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या दर्ज होने से लेकर आज दिनांक तक वादी/अपीलांट द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई ना ही वाद में किसी प्रकार का कोई संशोधन किया गया। इस प्रकार वादी/अपीलांट द्वारा उक्त अपील माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के प्रकाश में संधारण योग्य नहीं होकर काबिल निरस्त योग्य है। वादी/अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो संधारण योग्य नहीं होने से पूर्व में में खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार वादी/अपीलांट वादग्रस्त आराजी बाबत किसी भी प्रकार से मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही है। अतः जवाब स्वीकार फरमाकर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चे खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट पर किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया व लंबी पेशियां दी गई अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके वर्षो पुराने कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने लगे तब प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के पास अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था तब इसकी विधिक जानकारी लेकर अपने अभिभाषक से मिलकर शीघ्र अपील प्रस्तुत की गई है साथ ही यह भी कहा है कि प्रार्थी ग्रामीण परिवेश की अनपढ काश्तकार है ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई सदभाविक देरी को क्षमा किया जाए व अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कर अपीलांट के कथन को झूठा व मनगंढत बताया तथा अंकन किया कि अपीलांट को वाद के विचाराधीन होने एवं वाद में चल रही पेशियों की पूर्ण रूप से जानकारी थी उनके द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया अपितु जानबूझकर प्रकरण में लंबी तारीख पेशियां लेकन अदृश्य रूप से न्यायालय पर देरी होने का आरोप लगाते हुए देरी से अपील प्रस्तुत की गई जो काबिल निरस्त योग्य है साथ ही अपीलांट द्वारा कोई ठोस उचित कारण इस बाबत नहीं बताया। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी अजमेर शहर का निवासी है और धोलाभाटा में निवास करता है। साक्षर है, अनपढ काश्तकार नहीं है। प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज की जावे। क्यों कि इनका दावा पूर्व में आदेश 7 नियम 11 में खारिज किया जा चुका है(दस्तावेज शून्य घोषित करने हेतु) मगर इन्होंने दावे में कोई संशोधन नहीं किया है। जबकि आरएए न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.7.2023 के अपने निर्णय मे इन्हें निर्देश दिया गया है। लगातार...

8.2.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

दौलत बनाम किशनलाल (ग्रा०) (2023/357)

लगातार-- बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि विवादित भूमि ग्राम किरानीपुरा तहसील अजमेर में स्थित है अपीलांट की और से धारा 88,53, 188 आरटी एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष वाद लाया गया था। मूल रूप से भूमि चौथी बाई पत्नि बिंजालाल की थी। चौथी बाई का पुत्र मदनलाल है विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है किशनलाल का हिस्सा 1/3 है। बिना विभाजन करवाए हिस्से से ज्यादा विक्रय किया है। 212 का प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा लगाया गया था विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर हमारा दावा खारिज किया गया। अपील में आरएए द्वारा हमे स्टे दिया हुआ था। अपील हमारी आंशिक रूप से आरएए द्वारा स्वीकार की। भूमि की रक्षा की जाए 212 की पत्रावली पर कोई भी आदेश अपीलेबल माना जाता है उनके द्वारा 2017 आरआरटी पेज 491 का कथन किया।

रिमाण्ड प्रकरण में दोनो पक्षों उपस्थित हुए थे यह वकील रेस्पोडेंट द्वारा बहस में बताया गया है। दिनांक 10.8.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था अपितु रिमाण्ड प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अगली तिथि दिनांक 8.9.2023 रखी गई थी। अपील मीमो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट अजमेर शहर में निवास करते है ग्रमीण क्षेत्र के नहीं है।

वकील प्रार्थी अपीलांट ने बताया कि दिनांक 10.8.2023 को उपखण्ड अधिकारी के यहां पत्रावली दर्ज हुई थी अगली तिथि दिनांक 18.9.2023, 10.10.2023,10.12.2023 दी गई है पीठासीन अधिकारी बैठते नहीं है बहस में वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि धारा 5 पर इनका आधार चलने योग्य नहीं है इन्हें जानकारी थी रिमाण्ड प्रकरण था यह भी उपस्थित थे हम भी थे दिनांक 10.8.2023 की इन्हें जानकारी थी इनके द्वारा 212 भी लगाया गया था बहस करना इन्होंने बताया दिनांक 10.8.2023 को जबकि बहस हुई नहीं।

न्यायालय सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझता है। न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 10.8.2023 को प्रकरण दर्ज करने के बाद 212 के प्रार्थना पत्र पर कोई प्रभावी आदेश दिया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं दिया गया । आगे की तीन तारीखें और दे दी गई प्रोसिडींग के अनुसार अंतिम पेशी तिथि दिनांक 13.12.2023 दी गई ऐसे में अपीलांट के पास अपील करने के अलावा कोई चारा शेष नहीं बचता है यह सही है। अतः अपील को इसी रोशनी में अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.8.2023 द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर दौलत व अन्य बनाम किशनलाल व अन्य प्रकरण संख्या 49/2023 अंतर्गत 212 आरटी एक्ट निम्नानुसार है– राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के पत्र कमांक 304/2019/225/18.7.2023/1322 दिनांक 02.8.2023 से मूल पत्रावली मय निर्णय दिनांक 18.7.2023 इस आशय से प्राप्त हुआ कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.7.2019 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पुनः दर्ज कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अंत पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 8.9.2023 को पेश हो।

अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा मात्र प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करने का अंकन दिनांक 10.8.2023 को किया गया है, और अगली तिथि दिनांक 8.9.2023 के बाद 10.10.2023, 13.12.2023 तारीख दी गई। अपीलांट द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश चाहा जा रहा है, जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई भी अंतरिम आदेश पत्रावली पर नहीं दिया गया था। अपील में रेस्पोडेंट 1 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हैं। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम आरआरटी 2014(1) पेज 409 न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में दी गई व्यवस्था निम्नानुसार है– **The APPELLATE COURTS HAVE NO JURISDICTION TO ENTERTAIN APPEALS AGAINST SUCH AD- INTRIM EX PARTE ORDERS WHICH ARE EFFECTIVE ONLY TILL NEXT DATE OF** लगातार--

8.2.2024
राजस्व अ[illegible] प्राधिकारी

CamScanner

HEARING AND HAVE BEEN PASSED UNDER RULE 3 AND 3A OF ORDER 39 OF THE CODE OR WHERE THERE IS NO ORDER OF THE TRIAL COURT ON THE APPLICATION OF TEMPORARY INJUCTION OR APPOINTMENT OF RECEIVER. वर्तमान अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश जारी करना नहीं पाया जाता है ऐसे प्रकरण जिसमें कोई आदेश जारी किया ही नहीं गया हो उक्त न्यायिक दृष्टांत पैरा 78 के बिदु 2 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपीलेट कोर्ट को ऐसी अपील एंटरटेन नहीं करनी चाहिए। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए 2014 आरआरटी पेज 409, 2018(1) आरआरटी वो01 पेज 156, 2017(1) आरआरटी पेज 491, 2005 आरआरडी पेज 49 वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आरआरटी 2018(1) पेज 156 आदेश 39 नियम 1, 2 के अंतर्गत टीआई से संबंधित है जिसमें प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। वर्तमान प्रकरण में यह स्थिति नहीं है उक्त प्रकरण में अभी निर्णय किया ही नहीं है। 2017(1) आरआरटी पेज 491 उक्त प्रकरण में संपत्ति को विक्रय किया गया था और भूमि के विक्रय का तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 2005 आरआरडी पेज 49 इसके अनुसार रेस्पोडेंट 1 के द्वारा मूल खातेदार का दत्तक पुत्र होने का क्लेम किया जबकि अपीलांट का एडवर्स पजेशन के आधार पर क्लेम था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री अपीलांट के पक्ष में जारी की गई थी तथा रेस्पोडेंट पक्षकार नहीं था यहां ऐसी स्थिति नहीं थी। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा नहीं होते हैं। उक्त न्यायिक दृष्टांतों से अपीलांट को कोई मदद नहीं मिलती है। अतः इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट द्वारा बहुत जल्दबाजी की गई है उसे अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे 212 के प्रार्थना पत्र में शीघ्र बहस करवाकर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करवाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिए जाते है कि उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर 212 के प्रार्थना पत्र पर अंतिम निस्तारण करे। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाए। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

8.2.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर